पंचायत निगरानी संख्या : 169/2024
उनवान : पदमसिंह बनाम पर्बतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 169/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/168

प्रार्थी :–

पदमसिंह पुत्र श्री सावंतसिंह जाति राजपूत निवासी खिवांदी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. पर्बतसिंह पुत्र श्री सावंतसिंह जाति राजपूत निवासी खिवांदी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत खिवांदी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत बखिलाफ ग्राम पंचायत खिवांदी के संकल्प संख्या 11 दिनांक 25.09.1997 पट्टा संख्या 12 दिनांक 26.05.1997 मिसल संख्या 17/96–97, दायरा दिनांक 02.05.1996 मिसल फैसल दिनांक 21.05.1997 जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 27.04.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत खिवांदी के संकल्प संख्या 11 दिनांक 25.09.1997 पट्टा संख्या 12 दिनांक 26.05.1997 मिसल संख्या 17/96–97, दायरा दिनांक 02.05.1996 मिसल फैसल दिनांक 21.05.1997 जिसे निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में संकल्प संख्या 11, दिनांक 25.09.1997 के द्वारा दिनांक 26.05.1997 को पट्टा संख्या 12 जारी किया गया, उस संकल्प व पट्टे को निरस्त करने हेतु पंचायत निगरानी का यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि पट्टा संख्या 12 के अवलोकन से ऐसा लग रहा है कि यह पट्टा मिसल संख्या 17/96–97 तारीख दायर 02.05.1996 मिसल फैसल दिनांक 21.05.1997 की अनुपालना में जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत खिवांदी के पत्र क्रमांक ग्रा.प. सि.2018/215,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 169/2024
उनवान : पदमसिंह बनाम पर्बतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

दिनांक 11.07.2018 जो प्रार्थी के सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.06.2018 को दिया गया था के जवाब के अनुसार ग्राम पंचायत खिवांदी ने लिखा है कि "ग्राम पंचायत में उपखण्ड अभिलेखों अनुसार पट्टा संख्या 12 मिसल संख्या 17/96–97 दायर दिनांक 20.05.1996 फैसला दिनांक 21.05.1997 एवं जारी दिनांक 26.05.1997 किसी भी प्रकार का किसी के भी नाम जारी होना नही पाया गया।

3. यह है कि उपरोक्त पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जिस मिसल को कायम कर पट्टा जारी करना बताया गया है, ऐसी कोई मिसल दायर ही नही हुई है न किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है तत्कालीन सरपंच ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव उप सरपंच नक्शा नविश व सचिव ने प्रार्थी व ग्राम पंचायत को नुकसान पहूंचाने एवं अप्रार्थी संख्या 01 को फायदा पहूंचाने की नियत से ऐसा फर्जी दस्तावेज (पट्टा संख्या 12) तैयार किया है।
4. यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 सगे भाई है, प्रार्थी के पिता स्व. सांवतसिंह का स्वर्गवास आज से 10 वर्ष पूर्व हो चुका हैं, गांव खिवांदी में पट्टे से दर्ज पडौस बीच के स्थान का पट्टा जारी किया है। वह अप्रार्थी संख्या 01 व इनके एक अन्य भाई प्रेमसिंह के पिता कि पुश्तैनी जगह हैं। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी किसी भी रुप से अकेले का कब्जा नही रहा। उपर दर्ज अनुसार मृतक सावंतसिंह के तीनो पुत्र मौजुद है। ऐसे में पिता की सम्पति को हडप करने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 में गलत पट्टा जारी कराया है, जो काबिल निरस्त के है।
5. यह है कि परिसर जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अपने नाम बनवाया है, वह परिसर सालो साल पुराना निर्मित है उस परिसर में वर्ष 2008–09 तक प्रार्थी के पिता सावंतसिंह अपनी पत्नी सहित निवास करते थे, सावंतसिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जीवित है। अप्रार्थी संख्या 01 ने वर्ष 1997 को अपने पक्ष में जो पट्टा जारी करवाया है। वह गलत है, क्योंकि सांवतसिंह के जीवनकाल में उनके तीनो पुत्र अपने अलग–अलग परिसर में निवास करते थे अर्थात् अप्रार्थी संख्या 01 पट्टे में वर्णित परिसर पर निवास नहीं करता था।
6. यह है कि बिना मंजूरी यह मान लिया जाए की पत्रावली कायम कर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 ने पट्टा जारी किया है, तो पट्टा जारी करने के जो पंचायत नियम बने हुए है, उन नियमो की पालना नहीं की गई है। इस कारण भी आदेश व पट्टा जैर निगरानी काबिल निरस्त के है।
7. यह है कि पट्टा जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को 10 जुन 2018 को हुई, तब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत खिवांदी द्वारा जारी पट्टे की नकल की मांग की जो उसी दिन मिल गई। तत्पश्चात दिनांक 19.06.2018 को सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करने की पत्रावली की मांग की, जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 11.07.2018 को पत्र जारी किया जिसके अनुसार न तो ऐसी कोई पत्रावली कायम की गई न कोई पट्टा जारी किया गया। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी का आवेदन स्वीकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 169/2024
उनवान : पदमसिंह बनाम पर्बतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

फरमाया जाए तथा ग्राम पंचायत खिवांदी का संकल्प संख्या 11, दिनांक 25.09.1997 जो मिसल संख्या 17/96–97, दायर दिनांक 02.05.1996 फैसल दिनांक 21.05.1997 को खारिज फरमाया जाए एवं उससे परिवेक्ष्य में पट्टा संख्या 12, दिनांक 26.05.1997 को जारी किया उसे भी निरस्त फरमाया जाए।

पत्रावली दर्ज कर अप्रार्थिगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक बावजुद सम्यक सूचना के उपस्थित नहीं आए। अतः अप्रार्थी संख्या एक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

ग्राम पंचायत खिवांदी ने जरिये पत्रांक/ग्रा.प.ज./2025 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत भुखण्ड उसके पिता स्व. सावंतसिंह की पुश्तैनी/पैतृक सम्पति है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 पर्बतसिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत खिंवादी द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 12 दिनांक 26.05.1997 अवैध, अनियमिति एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पदमसिंह पुत्र स्व. सावंतसिंह द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका के माध्यम से ग्राम पंचायत खिवांदी द्वारा पारित संकल्प संख्या 11 दिनांक 25.09.1997 तथा उसके क्रम में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 26.05.1997 जो कि मिसल संख्या 17/96–97, दायरा दिनांक 02.05.1996, फैसला दिनांक 21.05.1997 के क्रम में जारी किया गया, को निरस्त किए जाने तथा निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी सगे भाई है तथा प्रार्थी ने ज़ैर निगरानी प्रश्नगत भुखण्ड अपने पिता स्व. सावंतसिंह की पुश्तैनी होने का कथन करते हुए आलोच्य पट्टा विलेख को चुनौति दी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारो पर विचार किया गया। प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

1. **क्या प्रश्नगत विवाद स्वामित्व/टाइटल से संबंधित सिविल प्रकृति का विवाद है?**

प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रश्नगत भूमि को अपने पिता की पुश्तैनी/पैतृक सम्पति बताया गया है दूसरी ओर, अप्रार्थी संख्या 01 भी प्रार्थी का सगा भाई है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के मध्य विवाद का मूल प्रश्न भूमि के स्वामित्व, अधिकार एवं हिस्सेदारी से संबंधित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्वामित्व अथवा टाइटल संबंधी विवाद का निर्णय विस्तृत साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं आवश्यकतानुसार मौखिक साक्ष्य के परीक्षण उपरांत ही किया जा सकता है, जिसका क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रदत निगरानी याचिकाओं की अधिकारिता सीमित है, जिसके अन्तर्गत केवल अधीनस्थ पंचायत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 169/2024
उनवान : पदमसिंह बनाम पर्बतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संस्थाओं द्वारा पारित आदेश/कार्यवाही की वैधानिकता, नियमितता एवं औचित्य की जांच की जा सकती है। इस न्यायालय को किसी भूमि के स्वामित्व अथवा टाइटल का अंतिम निर्णय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अतः न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि प्रश्नगत विवाद विशुद्ध रुप से सिविल प्रकृति का हैं।

2. क्या प्रश्नगत पट्टा विलेख में कोई वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि सिद्ध होती हैं?

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा विलेख के विरुद्ध कोई विशिष्ट वैधानिक, प्रक्रियात्मक अथवा अधिकारिता संबंधी त्रुटि स्पष्ट रुप से अंकित नहीं की गई है। प्रार्थी का मुख्य आधार केवल यह है कि भूमि पैतृक है, अतः पट्टा अवैध है। निगरानी अधिकारिता के प्रयोग हेतु यह आवश्यक है कि आदेश/कार्यवाही में कोई प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि, प्रक्रिया का उल्लंघन, अधिकारिता का अभाव गंभीर अनियमितता परिलक्षित हो। मात्र स्वामित्व का दावा प्रस्तुत कर दिए जाने से पट्टा स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता। यह भी कि प्रकरण में मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रश्नगत पट्टा जारी होने की प्रक्रिया, संकल्प पारित होने की विधि अथवा अन्य वैधानिक औपचारिकताओं की विस्तृत समीक्षा/विवेचना किया जाना संभव नहीं है। अतः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोई ऐसी वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि सिद्ध नहीं होती है, जिसके आधार पर जैर आलोच्य पट्टा विलेख में हस्तक्षेप किया जा सके।

साराशतः, उपरोक्त समस्त तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों एवं विधिक स्थिति के परीक्षण उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवाद भूमि के स्वामित्व/टाइटल से संबंधित होकर विशुद्ध रुप से सिविल प्रकृति का है, जिसका निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा विलेख के विरुद्ध कोई स्पष्ट वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि स्थापित नहीं की गई है।

अतः प्रार्थी पदमसिंह पुत्र स्व. सांवतसिंह द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका निराधार पाई जाकर खारिज की जाती है। यदि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व/अधिकार के संबंध में कोई दावा है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला बाली